वन विभाग हरियाणा

"आवश्यक सूचना–15"

(काष्ठ आधारित उद्योगों के नए लाईसैंस प्रदान करने हेतू)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा प्रदेश द्वारा दिनांक 14.01.2021 तथा 07.5.2021 को हुई सभा में निर्णय लिया गया है कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतू ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला फरीदाबाद, पलवल, नूंह (मेवात), गुरूग्राम, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी, भिवानी जीन्द, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा के लिए ऑनलाईन पोर्टल ***www.haryanaforest.gov.in*** खोल दिया जाए। अतः सम्बन्धित जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वह नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू अपने आवेदन विभाग की वेबसाईट ***www.haryanaforest.gov.in*** पर ऑनलाईन मोड़ में दिनांक 30.09.2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सम्बन्धित IP address http://164.100.137.122/ है।

नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन के लिए **"निर्धारित आवेदन पत्र (online)"**, **"निर्धारित शर्तें एवं नियम"** (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) एवं **"आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देश"** विभाग की वेबसाईट ***www.haryanaforest.gov.in*** पर पहले से ही उपलब्ध हैं। आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन पत्र भरने से पहले उपरोक्त अनुसार **"निर्धारित शर्ते एवं नियम"** तथा **"आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देशों"** का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेवें तथा उसी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। यदि प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में पाया गया कि आवेदक शर्ते एवं नियम पूर्ण नहीं करता या आवेदन पत्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है या अपूर्ण है तो ऐसी अवस्था में आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाऐगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।

इसके अलावा जिन आवेदकों द्वारा वर्ष 2017 व वर्ष 2018 में काष्ठ आधारित उद्योग के तहत लाईसेंस लेने हेतू आवेदन किए गए थे उनमें से 765 ऐसे आवेदक थे जिन्हों ने अपनी बकाया 80 प्रतिशत धन राशि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर–2 ऑनलाईन के माध्यम से जमा न करवाने के कारण विभाग द्वारा जारी **"आवश्यक सूचना 14"** द्वारा उन सभी आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। यदि निरस्त किए गए आवेदकों में से कोई आवेदक अब लाईसेंस लेने का इच्छुक हो तो वह नए सिरे से आवेदन कर सकता है लेकिन उस द्वारा वर्ष 2017 अथवा वर्ष 2018 में जमा करवाई गई राशि को समायोजित नहीं किया जाऐगा क्योंकि यह राशि नियमानुसार जब्त **(forefeit)** की जा चुकी है।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वानिकी),
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति,
काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा, सी.18, वन भवन,
सैक्टर 6, पंचकूला।